<u>न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं0–01, मथुरा</u>
जमानत प्रार्थनापत्र

1–सत्यप्रकाश पुत्र ब्रह्मानन्द,
2–गुड्डा पुत्र ब्रह्मानन्द,
3–ब्रह्मानन्द पुत्र स्व0 तुलाराम,
4–गिरीश पुत्र ब्रहमानन्द,
निवासीगण गांव–आनन्द गढ़ी, थाना–बल्देव, वर्तमान थाना–महावन, मथुरा

बनाम

उ0प्र0 राज्य

अपराध सं0–400/1999,
अन्तर्गत धारा–468,471,120बी भा0दं0सं0,
थाना–सदर बाजार, जिला–मथुरा

<u>आदेश</u>

1. प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र आवेदकगण/अपीलार्थीगण सत्यप्रकाश, गुड्डा, ब्रह्मानन्द एवं गिरीश के पक्ष से अपराध सं0–400/1999, थाना–सदर बाजार, जिला–मथुरा से उद्भूत दाण्डिक वाद सं0–4193/2006 राज्य बनाम सत्यप्रकाश एवं अन्य में पारित निर्णय/आदेश दिनांकित 21.08.2017 के विरुद्ध योजित दाण्डिक अपील सं0–34/2017 सत्यप्रकाश एवं अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य, अन्तर्गत धारा–468, 471, 120बी भारतीय दण्ड संहिता, थाना–सदर बाजार, जिला–मथुरा में अपील के निस्तारण की अवधि तक जमानत पर मुक्त किये जाने के आशय से प्रस्तुत किया गया है।

2. सुसंगत अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी मोरमुकुट सारस्वत दिनांक 05.05.1994 को जिला एवं सत्र न्यायालय, मथुरा में सत्र लिपिक के पद पर कार्यरत थे। उक्त तिथि पर अभियुक्तगण सत्यप्रकाश, गुड्डा पुत्रगण ब्रहमानन्द एवं ब्रहमानन्द पुत्र तुलाराम का जमानत प्रार्थनापत्र सं0–628/1994, जो अपराध सं0–61/1994 से सम्बन्धित था एवं शपथपत्र गिरीश कुमार के साथ श्री सुनील कुमार भार्गव एडवोकेट द्वारा प्रस्तुत किया गया। जमानत प्रार्थनापत्र के साथ कागज सं0 4ख/3 माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दाण्डिक प्रकीर्ण सं0–2970/1994 में पारित आदेश दिनांकित 23.04.1994 की प्रमाणित प्रति भी प्रस्तुत किया गया, जिसमें सत्यप्रकाश, गुड्डा एवं ब्रह्मानन्द के नाम उल्लिखित हैं। जमानत प्रार्थनापत्र की सुनवाई के दौरान श्री घूरेलाल अग्रवाल एडवोकेट द्वारा प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्तगण की तरफ से माननीय उच्च न्यायालय का जो आदेश दाखिल किया गया है, वह गलत है, उन्होंने माननीय उच्च न्यायालय के उक्त आदेश की प्रमाणित प्रति 16ख/3 दाखिल की, जिसमें मात्र सत्यप्रकाश पुत्र ब्रह्मानन्द का नाम अंकित है। इस संदर्भ में माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय द्वारा जांच कराने हेतु श्री के0के0 सिन्हा, चतुर्थ अपर सिविल

जज, सी0डि0, मथुरा को जांच अधिकारी नामित किया गया तथा जांच अधिकारी द्वारा यह निष्कर्ष दिया गया कि–''मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि दिनांक 05.05.1994 को माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 23.04.1994 के साथ जो जमानत प्रार्थनापत्र अभियुक्तगण सत्यप्रकाश, गुड्डा एवं ब्रहमानन्द द्वारा प्रस्तुत किया गया था, वह कपटपूर्ण एवं कूटरचित दस्तावेज था, क्योंकि दिनांक 23.04.1999 के माननीय उच्च न्यायालय का आदेश केवल सत्य प्रकाश के प्रार्थनापत्र पर ही पारित किया गया था। यह कूटरचना किसी प्रक्रम पर की गयी है। प्रश्नगत मामले की प्रथम सूचना रिपोर्ट तत्कालीन विद्वान जनपद न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश के अनुसार दर्ज करायी गई।

3. वादी श्री मोरमुकुट सारस्वत, सत्र लिपिक द्वारा प्रस्तुत तहरीर दिनांकित 22.10.1999 के आधार पर थाना–सदर बाजार में अपराध सं0–400/1999, धारा–420, 418, 471 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत पंजीकृत किया गया। विवेचक द्वारा प्रश्नगत मामले की विवेचना की गयी तथा गवाहान के बयान अंकित करते हुए बाद विवेचना अभियुक्तगण सत्यप्रकाश, गुड्डा, गिरीश कुमार, ब्रहमानन्द व सुनील भार्गव एडवोकेट के विरुद्ध धारा–420, 418, 471 भा0दं0सं0 के अन्तर्गत आरोपपत्र प्रेषित किया गया। पूर्ण परीक्षण के उपरान्त दाण्डिक वाद सं0–4193/2003 राज्य बनाम सत्यप्रकाश आदि, अन्तर्गत धारा–420, 418, 471 भा0दं0सं0, थाना–सदर बाजार, मथुरा में विद्वान अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, न्यायालय सं0–01, मथुरा द्वारा पारित निर्णय/आदेश दिनांकित 21.08.2017 के माध्यम से अभियुक्तगण सत्यप्रकाश, गुड्डा, गिरीश कुमार व ब्रहमानन्द को दोषसिद्ध किया गया है। उपर्युक्त वर्णित आलोच्य निर्णय एवं आदेश दिनांकित 21.08.2017 के विरुद्ध ही अपीलार्थी/अभियुक्तगण के पक्ष से दाण्डिक अपील सं0–34/2017 योजित की गयी है तथा अपील लम्बित रहने की अवधि में उन्हें जमानत पर मुक्त किये जाने की प्रार्थना किया गया है।

4. जमानत हेतु मुख्य रूप से बचाव पक्ष द्वारा यह आधार लिया गया है कि आवेदकगण/अपीलार्थीगण निर्दोष हैं, उन्हें इस अभियोग में झूंठा फंसाया गया है तथा उन्होंने कोई अपराध कारित नहीं किया है। यह आधार भी लिया गया है कि निर्णय/आदेश दिनांकित 21.08.2017, जिसमें आवेदकगण/अपीलार्थीगण को दोषी पाया गया है, के विरुद्ध आवेदकगण/अपीलार्थीगण के विरुद्ध अपील प्रस्तुत किया गया है। आवेदकगण/अपीलार्थीगण विचारण के दौरान जमानत पर मुक्त किये गए थे, उन्होंने जमानत का दुरुपयोग नहीं किया है। आवेदक/अभियुक्त ब्रहमानन्द 85 वर्ष का वृद्ध व्यक्ति है एवं आवेदक/अभियुक्त सत्यप्रकाश सरकारी विद्यालय में हैड मास्टर है। अतः आवेदकगण/अपीलार्थीगण को दौरान अपील जमानत पर

मुक्त किया जाए। साथ ही बचाव पक्ष के सुयोग्य वरिष्ठ अधिवक्तागण द्वारा बलपूर्वक यह तर्क भी प्रस्तुत किया गया है कि **प्रश्नगत मामले में आवेदकगण/अपीलार्थीगण के विरुद्ध सुस्थापित विधि सिद्धान्तों के अनुसार आवश्यक अव्ययों के अभाव में कोई अपराध गठित नहीं होता है। विद्वान विचारण न्यायालय का निष्कर्ष पूर्णतः विकृत एवं साक्ष्यों के प्रतिकूल तथा अविधिक है। अतः इन आधारों पर भी आवेदकगण/अपीलार्थीगण को जमानत पर मुक्त किये जाने की प्रार्थना किया गया है।**

5. **अभियोजन पक्ष द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र का इस आधार पर प्रबलतम विरोध किया गया है कि अपीलार्थीगण द्वारा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश में स्वयं के निहित लाभ हेतु कूटरचना कर गम्भीरतम अपराध कारित किया गया है, जिसमें विचारण के उपरान्त उन्हें दोषसिद्ध पाया गया है। अतः जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त करने की प्रार्थना किया गया है।**

6. मैंने बचाव पक्ष के सुयोग्य वरिष्ठ अधिवक्तागण एवं राज्य के पक्ष से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता(दाण्डिक) के तर्कों को विस्तारपूर्वक सुना एवं सम्पूर्ण पत्रावली का अवलोकन किया।

7. पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि आवेदकगण/अपीलार्थीगण के विरुद्ध मूलतः प्रथम सूचना रिपोर्ट धारा–420, 418, 471 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत पंजीकृत हुआ था, जिसमें विवेचना के उपरान्त आवेदकगण/अपीलार्थीगण सत्यप्रकाश, गुड्डा, गिरीश कुमार, ब्रहमानन्द के विरुद्ध आरोपपत्र धारा–420, 418, 471 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया तथा अन्ततः दाण्डिक वाद सं0–4193/2003 राज्य बनाम सत्यप्रकाश एवं अन्य में पारित आलोच्य निर्णय एवं आदेश दिनांकित 21.08.2017 द्वारा आवेदकगण/अपीलार्थीगण सत्यप्रकाश, गुड्डा, गिरीश कुमार व ब्रहमानन्द को दोषसिद्ध पाते हुए धारा–468 भा0दं0सं0 के अन्तर्गत प्रत्येक को पांच–पांच वर्ष के कठोर कारावास एवं दस–दस हजार रुपए के अर्थदण्ड, धारा–471 भा0दं0सं0 के अन्तर्गत प्रत्येक को दो–दो वर्ष के साधारण कारावास एवं पांच–पांच हजार रु0 अर्थदण्ड तथा धारा–120बी भा0दं0सं0 के अन्तर्गत प्रत्येक को दो–दो वर्ष के कठोर कारावास एवं पांच–पांच हजार रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। प्रथमदृष्टया प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश में कूटरचना कर सह–अभियुक्तगण गुड्डा पुत्र ब्रहमानन्द एवं ब्रहमानन्द पुत्र तुलाराम के नाम की वृद्धि किये जाने से सम्बन्धित है। दाण्डिक न्याय व्यवस्था से सम्बन्धित प्रश्नगत प्रकार के मामले की प्रकृति प्रथमदृष्टया ही अति गम्भीर है, जिसमें आवेदकगण/अपीलार्थीगण को जमानत पर मुक्त किये

जाने का कोई युक्तियुक्त औचित्य अथवा आधार कदापि दर्शित नहीं होता है।

8. अतः उपर्युक्त वर्णित समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के आलोक में प्रश्नगत प्रकृति के अपराध में आवेदकगण/अपीलार्थीगण की दोषसिद्धि के तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए उन्हें जमानत पर मुक्त किये जाने का पर्याप्त आधार दर्शित नहीं होता है।

9. तदनुसार आवेदकगण/अपीलार्थीगण सत्यप्रकाश, गुड्डा, ब्रह्मानन्द एवं गिरीश द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाता है।

(अजय कुमार श्रीवास्तव)
अपर सत्र न्यायाधीश,
न्यायालय सं0–01,मथुरा

दिनांक–27.09.2017